**Statement**

*Details of amount disbursed to the State of Bihar scheme-wise during the year 1994-95, 1995-96 and 1996-97.*

Amount disbursed (Rs. in lakhs)

| SI. No. | Name of Scheme | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pre-examination Coaching for Weaker Section based on economic criteria | 15.00 | 15.00 | Nil | |
| 2. | Multi Sectoral Development Plan | | 3.00 | Nil | |
| 3. | National Minorities Development and Finance Corporation | Nil | Nil | Nil | |
| 4. | Area Intensive Programme for Educationally Backward Minorities | Nil | Nil | Nil | These scheme arc being run by the Dcptt. of Education. |
| 5. | Modernisation of Madarasa Education | Nil | Nil | 44.38 | Ministry of Human Resource Development |

*Scheme came into existance during 95-96.

**उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं**

612. **प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा:**
**श्रीमती मालती शर्मा:**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए कतिपय कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए आबंटित राशि क्या है?

(कल्याण मंत्री (बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) जी, हां। कल्याण मंत्रालय की चल रही निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बेसहारा बच्चों को शामिल किया गया है;

| योजनाओं का ब्यौरा | निर्मुक्त राशि 1994-95 | 1995-96 | (रु लाख में) 1996-97 |
|---|---|---|---|
| 1. बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए योजना इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बच्चों की देखभाल और विकास के लिए पात्र स्वैच्छिक संगठंनों को बुनियादी गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए 90% तक सहायता अनुदान दिया जाता है। | 22.65 | 14.80 | 30.57 |
| 2. किशोर सामाजिक कृसंकमन निवारण एवं नियंत्रण की योजना इस योजना के अंतर्गत शिशु गहों की स्थापना और देखभाल के लिए राज्य सरकारों को वितीय सहायता दी | 45.15 | शुन्य | शुन्य |

| योजनाओं का ब्यौरा | नियुक्त राशि 1994-95 | 1995-96 | (रु लाख में) 1996-97 |
|---|---|---|---|
| जाती है, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। | | | |
| 3. समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना। इस योजना के अंतर्गत वेश्याओं क् बच्चों के पुवर्वास के लिए पात्र स्वैच्छिक संगठनों को 90% तक सहायता अनुदान दिया जाता है। | 11.17 | 23.11 | 20.43 |

**उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग में और अधिक जातियों को सम्मिलित करने हेतु अभ्यावेदन**

613. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है और इन वर्गों में सम्मिलित उप-जातियों के नाम क्या है;

(ख) क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुछ और जातियों को सम्मिलित करने की मांग की गई हा;

(ग) क्या सरकार ने उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम, त्रिपुरा और मणिपुर की तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों की प्रतिवर्ष कुछ राशि प्रदान की जाती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

**कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया)**:

(क) उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता क्रमश:21.05 तथा 0.21 है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिअ कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में क्रमश: 66 तथा 5 समुगाय विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन समुदायों के ब्यौरे विधि तथा न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित चुनाव विधि मैनुअल में गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सूधार के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों को दशनि वाला बेयौरा विवरण-I के रूप में संलग्र है (नीचे देखियो)

(घ) और (च) पिछले तीन पर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सेवैच्छिक संगठनों को पेरदान की गई निधियों की गशनि वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्र है।

विवरण-I

सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सहित रम्पूर्ण देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निम्रलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. विशेष केन्द्रीय सहायता
2. अनुच्छेक 275 (1) के अंतर्गत अनुदान
3. सैवच्छिक संगठनों को सहायता
4. राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान
5. अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल
6. अनूसुचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षात्रों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षात्रों की योग्यता का उत्रयन